

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5007
(01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

गांवों में जनसंख्या

5007. श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री दिनेश चंद्र यादव:
श्री गिरिधारी यादव:
श्री रामप्रीत मंडल:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के गांवों में 80 प्रतिशत आबादी गरीब है और उक्त गरीब आबादी का लगभग दो तिहाई अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है;
- (ख) क्या सरकार उक्त विषमता को दूर करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठा रही है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) वर्ष 2011 में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीबी की बहुआयामी प्रकृति की पहचान की और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 करवाई। यह जनगणना आवास, भूमि स्वामित्व, शैक्षिक स्थिति, लैंगिक स्थिति, विकलांगता, व्यवसाय, संपत्ति स्वामित्व, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) वर्गीकरण और आय सहित परिवारों के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर व्यापक डेटा/ब्योरा उपलब्ध कराती है।

एसईसीसी 2011 में, एकत्रित आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण परिवारों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया था: (i) "स्वतः बहिष्कृत परिवार," (ii) "स्वतः सम्मिलित परिवार," और (iii) "वंचित परिवार"।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मार्च 2016 में एसईसीसी की प्रक्रिया पूरी की गई। निष्कर्ष एसईसीसी वेबसाइट (www.secc.gov.in) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। एसईसीसी डेटा देश के 17.97 करोड़ ग्रामीण परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। जिसमें से 5 मापदंडों के आधार पर 0.16 करोड़ (0.89%) परिवार स्वतः ही सबसे गरीब के रूप में शामिल हो गए, और 8.72 करोड़ (48.53%) परिवारों को सात मानदंडों के आधार पर वंचित पाया गया।

वर्ष 2020 में, नीति आयोग को बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया, जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन की निगरानी के लिए एक स्वदेशी सूचकांक बनाने के लिए जिम्मेदार है। भारत के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) विकसित किया गया था। बेसलाइन रिपोर्ट नवंबर 2021 में प्रकाशित हुआ और राष्ट्रीय एमपीआई रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जुलाई 2023 में जारी किया गया।

नीति आयोग द्वारा प्रकाशित बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) जनसंख्या में बहुआयामी गरीबों के अनुपात और बहुआयामी गरीब व्यक्तियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले अभावों के औसत अनुपात दोनों को मापता है। यह राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित बहुआयामी गरीबी का अनुमान लगाता है। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी पर अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है। नवीनतम राष्ट्रीय एमपीआई रिपोर्ट के अनुसार, बहुआयामी रूप से गरीब व्यक्तियों का अनुपात 2015-16 और 2019-21 के बीच 24.85% से घटकर 14.96% हो गया, जो दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान 135.5 मिलियन व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबों के प्रतिशत में सबसे तेज़ गिरावट 2015-16 में 32.59% से घटकर 2019-21 में 19.28% हो गई है। एमपीआई का राज्य/संघ राज्य-वार और क्षेत्र-वार विवरण सार्वजनिक डोमेन/कार्यक्षेत्र में उपलब्ध है और इसे <https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2021-11/National MPI India-11242021.pdf> और <https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-08/India-National-Multidimensional-Poverty-Index-2023.pdf> पर देखा जा सकता है।

(ख) और (ग): सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी गरीब लोगों का उत्थान किया जाए। ग्रामीण

विकास मंत्रालय ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आजीविका के अवसरों को बढ़ाने , ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने , ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने, अवसंरचना विकास आदि पर मुख्य ध्यान देने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के आर्थिक कल्याण हेतु बहुआयामी कार्यनीति अपनाई है। सरकार कई लक्षित कार्यक्रम लागू कर रही है जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) , प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) , दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई एनआरएलएम) , दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) , ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) का वाटरशेड/जलसंभर विकास घटक (डब्ल्यूडीसी), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम , मिशन पोषण , सक्षम आंगनवाड़ी , उज्ज्वला योजना, सौभाग्य आदि।
